मेल रहे।

जैविक, सरोगेसी और गोद लेने वाली मां में भेदभाव अनुचितः कोर्ट

मां बनना महिला के जीवन की खूबसूरत घटना, मातृत्व अवकाश छूट नहीं अधिकारः हाई कोर्ट

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट ने कहा है कि मां बनना किसी भी महिला के जीवन की स्वाभाविक और खूबसूरत घटना होती है, ऐसे में मातृत्व अवकाश छूट नहीं, बल्कि अधिकार है। अवकाश मंजूर करने के लिए जैविक, सरोगेसी और गोद लेने वाली मां में भेदभाव नहीं किया जा सकता। जस्टिस विभू दत्त गुरु की सिंगल बेंच ने एक फैसले में दो दिन की नवजात बच्ची को गोद लेने वाली आईआईएम रायपुर की महिला अधिकारी को अब 180 दिन की चाइल्ड एडॉप्शन लीव यानी बाल दत्तक ग्रहण अवकाश देने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें सिर्फ 84 दिन की छुट्टी दी गई थी।

आईआईएम रायपुर में कार्यरत महिला अधिकारी ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, इसमें बताया कि उनकी नियुक्ति आईआईएम रायपुर में वर्ष 2013 में हुई थी। वे वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। शादी 2006 में हुई थी, लेकिन बच्चे नहीं हुए। 20 नवंबर 2023 को उन्होंने दो दिन की नवजात बच्ची को गोद लिया। इसके बाद 180 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन किया, लेकिन संस्थान ने 18 दिसंबर 2023 को यह कहते हुए मना कर दिया कि मानव संसाधन नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ 60 दिन की परिवर्तित छुट्टी दी गई।

शेष | पेज 3

कोर्ट ने कहा- नवजात को मां की देखभाल की जरूरत

हाई कोर्ट ने कहा है कि मातृत्व अवकाश सिर्फ लाभ नहीं, बल्कि अधिकार है। जैविक, सरोगेट या गोद लेने वाली मां में कोई फर्क नहीं किया जा सकता। नवजात को मां की देखभाल की जरूरत होती है। उसे पालन-पोषण की जरूरत होती है और यही वह सबसे महत्वपूर्ण अवधि होती है, जिसमें बच्चे को मां की जरूरत होती है। बच्चे के जीवन के पहले वर्ष में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बच्चा भी बहुत कुछ सीखता है। स्नेह का बंधन भी विकसित होता है, ऐसे में उसे दूसरों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता। मातृत्व अवकाश से वंचित करना जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।